न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 27/2019 (2019/00300)

[illegible] पुत्र भागूता जाति दरोगा (रावणा राजपूत) भूतपूर्व सैनिक निवासी कालेडा कृष्ण गोपाल [illegible] केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1- [illegible]चन्द पुत्र मूलचन्द जाति जैन निवासी कालेडा कृष्ण गोपाल
2- [illegible] पुत्र छोटू बैरवा नि.कालेडा कृष्ण गोपाल तह. केकडी
3- [illegible] सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
4- [illegible] देवी पत्नि भूरा
5- [illegible] पुत्र हरदेव
6- [illegible] देवी पत्नि गोपाललाल
7- [illegible] पुत्र गोपाल लाल
8- [illegible] पुत्री गोपाल लाल
9- [illegible] पुत्र गोपाल लाल
10- राजेन्द्र पुत्र भूरालाल
[illegible] जाति माली निवासी कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: आदेश ::-

दिनांक 17.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प कालेडा कृष्ण गोपाल केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेडा कष्ण गोपाल की जमाबन्दी संवत 2[illegible]-76 के खाता स. नया पुराना 435-389 के खसरा नम्बर 68 रकबा 1.46 है. किस्म बारानी 3 में का प्रार्थी खातदार काश्तकार है। आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में इस आराजी में [illegible] की फसल खडी है। किन्तु आवागमन एंव कृषि कार्य हेतु प्रार्थी के पास कोई मार्ग (रास्ता) [illegible] नही है। जिससे रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त आराजी में कृषि कार्य [illegible] हेतु अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी पूर्व में सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 240 ग्राम कोहडा जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर खाली पडत भूमि खसरा नम्बर 66 मे से [illegible] खातेदारी की उक्त आराजी पर आवागमन करता था। लेकिन खसरा नम्बर 66 पश्चातवर्ती आवंटन अप्रार्थी [illegible] 2 को हो जाने से प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि पर आवागमन का कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। जिससे प्रार्थी संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित मार्ग [illegible] अप्रार्थीगण की आराजी 236 एवं 66 में करीब 10 फीट चौडाई के रास्ते की प्रार्थी को सदभाविक रूप से युक्तियुक्त आवश्यकता है। जिसके प्रार्थी रास्ते के लिये आने वाली भूमि का प्रार्थी आदेशानुसार डी.एल.सी. रेट अप्रार्थीगण को भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण अप्रार्थी सं. 2 को पश्चातवर्तीवाद मे खाली पडी भूमि आवंटन होने व प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होने एंव अप्रार्थीगण से प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.9.19 को फसल काट कर अप्रार्थीगण की मेड पर आने जाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी गण [illegible] इन्कार करने से उत्पन्न हुआ है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से [illegible] दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री हेम[illegible] अधिवक्ता [illegible] पेश किया जवाब सरकार [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुयी जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी की [illegible] से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 1 नियम [illegible] पठित धारा 151 जा.दी.वास्ते पक्षकार संसोजित करने हेतु प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथा अप्रार्थी स. 4 लगायत 10 को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एंव अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पक्षकार को सम्मन तामिल हो जाने के उपरान्त गैर हाजिर रहे । अप्रार्थीगण का नोटिस बजरंग पुत्र भूरालाल माली को तामिल हुये है जो परिवार का सदस्य है। बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहने से उनकी अनुपस्थिति शुमार की जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रार्थी एंव अप्रार्थी स. 1 उपस्थित उन्हे सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया । अप्रार्थी स. 1 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 68 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 63 में से रास्ता दिया जाना उचित है जो कि कालेडा ग्रेवल सडक से मोलकिया रास्ता के समीप है जबकि मेरे खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 236 से होकर खसरा नम्बर 68 में आने जाने हेतु कालेडा कृष्ण गोपाल से कोहडा ग्रेवल सडक से मेरी खातेदारी में होकर जाने में अधिक लम्बा मार्ग की आवश्यकता होगी जो न्याय संगत नही है। पेशकार सरकार तहसीलदार केकड़ी को सुना गया। पेशकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहराया कि खसरा नम्बर 68 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भुमि है। स्वीकृत रास्ता खसरानम्बर 5 के पश्चात खसरा नम्बर 63 एवं 64 की उतरी मेड पर से प्रार्थी आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 5 एवं खसरा नम्बर 240 है। प्रार्थी द्वारा स्वीकृत रास्ता 240 के बाद खसरा नम्बर 236, 66, 67 में से चाहा गया है परन्तु मौका स्थिति अनुसार नजदीक नीनतम रास्ता खसरा नम्बर 5 स्वीकृत रास्ता के पश्चात खसरा नम्बर 63 व 64 की उतरी मेड से होकर है। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भुमि की गणना संलग्न की गई है। प्रतिकर राशि एवं भूमि के बदले भुमि हेतु पक्षकार आपस में सहमत नही है। नजदीकी दूरी पर प्रस्तावित रास्ता की वर्तमान डीएलसी दर 225423 रूपयें प्रति हैक्टर की दुगनी दर से प्रतिकर राशि 225423 X 112 X 2 = 5050 रूपय होगी प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड दीवार नही है, प्रस्तावित रास्ता की भुमि प्रतिबंधित श्रेणी में नही है। अतः खसरा नम्बर 63 और 64 में से रास्ता दिया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 68 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 236,66,67 में से रास्ता चाहता है जिसकी लम्बाई 182 मीटर है। खातेदारी खसरा नम्बर 236 व 66 के खातेदार भी उक्त रास्ता दिये जाने पर असहमत है। प्रार्थी वर्तमान में सिवायचक खसरा नम्बर 63 और खातेदारी खसरा नम्बर 64 में से अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 68 में आने जाने के लिए रास्ता प्रयोग में ले रहा है जिसकी लम्बाई 28 मीटर है जो कालेडा कृष्ण गोपाल से कोहडा ग्रेवल सडक से ग्राम मोलकिया जाने वाले रिकोर्डेड रास्ते के नजदीक है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.46 है. में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। पार्थी को रिकोर्ड में दर्ज रास्ता में से नजदीकी दूरी वाला रास्ता खसरा नम्बर 63 और 64 में से दिया जाना उचित है। नजदीकी दूरी का प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 112 वर्गमीटर है जिसमें से 24 X 4 = 96 वर्गमीटर सिवायचक खसरा नम्बर 63 में आता है तथा 4 X 4 = 16 वर्गमीटर खातेदारी खसरा नम्बर 64 में आता है। खातेदारी खसरा नम्बर 64 रकबा 2.02 है. नन्दू देवी पत्नि भूरा 1/8, नन्दा पुत्र हरदेव हिस्सा 1/2, बच्छी देवी पत्नि गोपाल लाल हिस्सा 1/24, सुरेश पुत्र गोपाल लाल हिस्सा 1/24, मैना पुत्र गोपाल लाल हिस्सा 1/24, बजरंग पुत्र भूरा लाल हिस्सा 1/8 राजेन्द्र पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/8 समस्त जाति माली साकिन देह के नाम दर्ज है मे से दिया जाना उचित है। 24 गुणा 4 बरावर 96 वर्गमीटर सिवायचक खसरा न. 63 तथा 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्गमीटर खातेदारी खसरा न.64 में से लिया जाना है। अतः खसरा न. 63 व 64 में से 28 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर , कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर रास्ता गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तथा प्रार्थी से प्रतिकर राशी प्राप्त कर अप्रार्थीगण प्रभावित खातेदार काश्तकार को भुगतान करने की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कालेड़ा कृष्ण गोपाल मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:46 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner